न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश /विशेष न्यायाधीश पोक्सो एक्ट, हापुड
उपस्थितः– उमाकान्त जिन्दल (उच्चतर न्यायिक सेवा) ; (UP-6234)

सत्र परीक्षण संख्या 822/2024

सरकार बनाम जकीउल्ला
अर्न्तगत धारा 75,333,351(2) बी0एन0एस0,
7/8 पोक्सो एक्ट,
थाना– पिलखुवा , जिला–हापुड़।
मु0अ0सं0 356/2024

09.12.2024 **आदेश (आरोप विरचन के संदर्भ में)**

पुकार कराई गई। पत्रावली पेश हुई। अभियुक्त जकीउल्ला जेरे जमानत उपस्थित। विद्वान विशेष लोक अभियोजक को सुना गया। विद्वान विशेष लोक अभियोजक द्वारा अपने केस का खुलासा किया गया और उस साक्ष्य का उल्लेख किया गया जिसके द्वारा उन्हे अभियोजन कथानक सिद्ध करना है ।

पत्रावली का अवलोकन किया । पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि अभियुक्त के विरूद्ध धारा 75,333,351(2) बी0एन0एस0, 7/8 पोक्सो एक्ट, के अधीन आरोप विरचन हेतु पत्रावली पर पर्याप्त प्रलेखीय साक्ष्य उपलब्ध है । अतः अभियुक्त के विरूद्ध उक्त धाराओ के अधीन आरोप विरचित किया जाकर वास्ते अभियोजन साक्ष्य पत्रावली दि0 06.01.2025 को पेश हो । अभियोजन साक्षीगण तलब हो ।

(उमाकान्त जिन्दल)
अपर सत्र न्यायाधीश/
विशेष न्यायाधीश पोक्सो एक्ट,
हापुड।

दि0 09.12.2024

Digitally signed by Umakant jindal
Date: 2024.12.09 16:49:01 IST
Reason: charge
Location: District and Sessions Court Hapur

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश /विशेष न्यायाधीश पोक्सो एक्ट, हापुड
उपस्थितः– उमाकान्त जिन्दल (उच्चतर न्यायिक सेवा) ; (UP-6234)

सत्र परीक्षण संख्या 822/2024

सरकार बनाम जकीउल्ला
अर्न्तगत धारा 75,333,351(2) बी0एन0एस0,
7/8 पोक्सो एक्ट,
थाना– पिलखुवा , जिला–हापुड़।
मु0अ0सं0 356/2024

आरोप

मैं, उमाकान्त जिन्दल ,अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश पोक्सो एक्ट, हापुड, एतदद्वारा आप अभियुक्त जकीउल्ला पर यह आरोप लगाता हूँ कि –:

प्रथमत ::– यह कि दिनांक 14.07.2024 को समय करीब 21.00 बजे शमशाद रोड कस्बा व थाना पिलखुवा जिला हापुड में आपने वादी की अव्यस्क पुत्री/ पीडिता ''एफ'' उम्र करीब 17 वर्ष, की लज्जा भंग करने के आशय से हमला करने की तैयारी कर गृह अतिचार किया । इस प्रकार आपने ऐसा कार्य कारित किया जो भा0न्याय संहिता की धारा 333 के अधीन दण्डनीय अपराध है और जिसका विचारण करने की अधिकारिता इस न्यायालय को प्राप्त है।

द्वितीयत ::– यह कि उपरोक्त दिनांक ,समय व स्थान पर आपने वादी की अव्यस्क पुत्री/ पीडिता ''एफ'' उम्र करीब 17 वर्ष, की लज्जा भंग करने के आशय से उसकी कौली भरकर गुप्तांगो से छेडछाडकर उसका लैंगिक उत्पीडन किया । इस प्रकार आपने ऐसा कार्य कारित किया जो भा0न्याय संहिता की धारा 75 के अधीन दण्डनीय अपराध है और जिसका विचारण करने की अधिकारिता इस न्यायालय को प्राप्त है।

तृतीयतः:– यह कि उपरोक्त दिनांक ,समय व स्थान पर आपने वादी की अव्यस्क पुत्री/ पीडिता ''एफ'' उम्र करीब 17 वर्ष, को जान से मारने की धमकी देकर ऐसा कार्य कारित किया जो भा0न्याय संहिता की धारा 351(2) के अधीन दण्डनीय अपराध है और जिसका विचारण करने की अधिकारिता इस न्यायालय को प्राप्त है।

चतुर्थतः:– यह कि उपरोक्त दिनांक ,समय व स्थान पर आपने वादी की अव्यस्क पुत्री/ पीडिता ''एफ'' उम्र करीब 17 वर्ष, पर लैंगिक हमला कर ऐसा कार्य कारित

किया जो पोक्सो एक्ट की धारा 7/8 के अधीन दण्डनीय अपराध है और जिसका विचारण करने की अधिकारिता इस न्यायालय को प्राप्त है।

अतएव एतदद्वारा मैं , आपको आदेशित करता हूॅ कि उक्त आरोपों के लिये आपका परीक्षण इस न्यायालय द्वारा किया जावेगा।

(उमाकान्त जिन्दल)
अपर सत्र न्यायाधीश/
विशेष न्यायाधीश पोक्सो एक्ट,
हापुड।

दि0 09.12.2024

आरोप अभियुक्त को पढकर सुनाया एवं समझाया गया । अभियुक्त ने आरोप को अस्वीकार किया और विचारण की मॉग की।

(उमाकान्त जिन्दल)
अपर सत्र न्यायाधीश/
विशेष न्यायाधीश पोक्सो एक्ट,
हापुड।

दि0 09.12.2024